दैनिक भास्कर

बिलासपुर भास्कर 21-08-2025

हाई कोर्ट से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क को अतिक्रमण मुक्त बनाने की तैयारी, कब्जे हटाने शनिवार को निकलेगी टीम

हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिए थे सख्त निर्देश, अब जागे प्रशासनिक अधिकारी, बैठक भी हुई

सिटी रिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रशासन हाई कोर्ट से चकरभाठा एयरपोर्ट तक जाने वाली सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराने की तैयारी में जुट गया है। बिल्हा एसडीएम ने इस संबंध में सभी जिम्मेदार अधिकारियों और व्यापारियों की बैठक बुलाई। इसमें गुरुवार को मुनादी कराने और शनिवार को अतिक्रमण हटाने टीम निकलेगी, इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट परिसर से चकरभाठा मार्केट होते हुए बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट तक की मुख्य सड़क लंबे समय से अव्यवस्थित रही है। सड़क के दोनों किनारों पर फलों, सब्जियों और अन्य सामान के ठेले-गुमटी लगने के साथ-साथ दुकानदारों द्वारा सड़क पर सामान रखकर व्यापार किया जाता है। इससे यातायात प्रभावित होता है और आए दिन जाम की स्थिति बनती है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका के एक अधिकारी की शह पर सड़कों के किनारों पर अतिक्रमण किया जाता है। इसके अलावा वाहन चालक सड़क किनारे अव्यवस्थित तरीके से गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे आवाजाही और भी बाधित हो जाती है। हाई कोर्ट ने इस समस्या को गंभीर मानते हुए 5 अगस्त को आदेश जारी किया था। आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए और यातायात व्यवस्था सुधारी जाए। इसी के पालन में बिल्हा एसडीएम ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी चकरभाठा, सीएमओ बोदरी और व्यापारियों की बैठक ली।

पहले समझाइश, फिर करेंगे कार्रवाई

बैठक में यह तय किया गया कि गुरुवार को अतिक्रमण हटाने मुनादी कराई जाए। इसके बाद भी बेजा कब्जा नहीं हटाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अब आधे-अधूरे उपायों से समस्या का समाधान संभव नहीं है। यदि सड़क किनारे कारोबार करने वाले सहयोग नहीं करते हैं, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नपा अफसर करेंगे कार्रवाई

बताया जा रहा है कि नगर पालिका के अधिकारियों को कहा गया है कि सड़क के किनारों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही, अव्यवस्थित पार्किंग करने वालों पर भी कड़ी कार्यवाही होगी।